संख्या-139/2019/2271/22-2-2019-17(978)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 25 अक्टूबर,2019***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रमेश चन्द्र पुत्र श्री बाबूराम, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24539/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-02.07.2019) दिनांक-08.08.2019 कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रमेश चन्द्र पुत्र श्री बाबूराम, जो मुजाहा, थाना-अमृतपुर, जिला-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। बंदी ने भूमि व रास्ता निकालने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 23.09.2003 को समय लगभग 4:30 बजे 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर चारा काटने वाली दरांती से गला काटकर धीरेन्द्र प्रताप नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। सत्र परीक्षण संख्या-101/2004 में भा0द0सं0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-4, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 15.09.2006 द्वारा बंदी का आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 17.05.2018 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद ने भूमि विवाद समाप्त न होने, आयु कम होने एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होने की आख्या अंकित करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने भूमि व रास्ता निकालने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 23.09.2003 को समय लगभग 4:30 बजे 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर चारा काटने वाली दरांती से गला काटकर धीरेन्द्र प्रताप नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। दोनों पक्षों के मध्य भूमि विवाद समाप्त न होने, आयु कम होने एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, विवाद समाप्त न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रमेश चन्द्र पुत्र श्री बाबूराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रमेश चन्द्र (बन्दी संख्या-20724) पुत्र श्री बाबूराम, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-139/2019/2271(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-फर्रूखाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-139/2019/2271/22-2-2019-17(978)/2019

दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रमेश चन्द्र पुत्र श्री बाबूराम, जो मुजाहा, थाना-अमृतपुर, जिला-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। बंदी ने भूमि व रास्ता निकालने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 23.09.2003 को समय लगभग 4:30 बजे 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर चारा काटने वाली दरांती से गला काटकर धीरेन्द्र प्रताप नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। सत्र परीक्षण संख्या-101/2004 में भा0द0सं0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-4, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 15.09.2006 द्वारा बंदी का आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 17.05.2018 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद ने भूमि विवाद समाप्त न होने, आयु कम होने एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होने की आख्या अंकित करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने भूमि व रास्ता निकालने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 23.09.2003 को समय लगभग 4:30 बजे 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर चारा काटने वाली दरांती से गला काटकर धीरेन्द्र प्रताप नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। दोनों पक्षों के मध्य भूमि विवाद समाप्त न होने, आयु कम होने एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, विवाद समाप्त न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रमेश चन्द्र पुत्र श्री बाबूराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।